

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रक्रिया सं. 270 / प्रमण्डल-1010 / 2018 - 952

पृष्ठ - 15, दिनांक - 15/5/18

संज्ञा में

महानगरपालिका,
बिहार, पटना।

विषय - राज्य योजना के तहत औरंगाबाद जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद में पूर्व से निर्मित कर्मा भगवान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार/मरम्मत कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु कुल ₹36.368 लाख (छत्तीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) की राशि की पूरक योजना पर स्वीकृति।

आदेश - राज्य योजना के तहत औरंगाबाद जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद में पूर्व से निर्मित कर्मा भगवान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार/मरम्मत कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु कुल ₹36.368 लाख (छत्तीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) की राशि की पूरक योजना पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना के तहत औरंगाबाद जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद में पूर्व से निर्मित कर्मा भगवान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार/मरम्मत कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु कुल ₹36.368 लाख (छत्तीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है।

3. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का

i) मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0106-मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-2215011020106 - विषय शीर्ष - 0106.31.05 - सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण

ii) मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0104-मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-2215017890104 - विषय शीर्ष - 0104.31.05 - सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण

iii) मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0105-मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-2215017960105 - विषय शीर्ष-0105.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, औरंगाबाद होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी औरंगाबाद कोषागार से की जायेगी / बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

5. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

15/5/18

7. योजनाओं की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम4-53/2007/3758/वि0 दिनांक - 31-05-17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई है।

2. वर्ष 2018-19 के कारिंद प्रोग्राम उद्भव एवं बजट कार्यक्रम में इसके लिए प्रावधान है।
3. इस पर आन्तरिक वित्तीय सहायता की सहमति प्राप्त है।

15/5/18
(नदीन कुमार)
संयुक्त सचिव

आ. सं. - 390/वि01-1010/2018-19 - 752

पटना - 15 दिनांक :- 15/5/18

प्रतिलिपि - वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद / कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / मुख्य अभियन्ता(ना0) के प्रावैधिक सचिव/ विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा - 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



15/5/18
(नदीन कुमार)
संयुक्त सचिव